राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3235/2025

मनीषा पांडे

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.07.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतरामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 30.06.2025 के आलौच्य आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जयनगर, भीलवाड़ा से बदलकर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पीपलिया कलां, ब्यावर कर दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 01.07.2025 (अनुलग्नक–6) द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि अपीलार्थी ने जिन ब्लॉक में आवेदन किया था उस ब्लॉक से बाहर जाकर अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने में असमर्थ है। उक्त पदस्थापन आदेश को निरस्त कर वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही पुनः लगाया जावे।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार

अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष